प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 22 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 28 – 04 जून 2018 मूल्य पांच रूपए

दीपक सानन को दिया गया स्टडी लीव लाभ सवालों में

शिमला/शैल।जयराम सरकार ने 26 फरवरी 2018 को पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन की 24.10.2016 से 24.1.2017 तक की छूट्टी को स्टडी लीव के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है। दीपक सानन 31.1.2017 को सेवानिवृत हो गये थे। सरकार ने दीपक सानन की इस तीन माह की छुट्टी को स्टडी लीव के तौर पर इसलिये स्वीकृति दी है क्योकि इस छुट्टी के कारण उनके अर्जित अवकाश के 300 दिन पूरे नही हो रहे थे। यदि किसी अधिकारी /कर्मचारी के खाते में सेवानिवृति के मौके पर 300 दिन का अर्जित अवकाश जमा हो तो उसे इस अवकाश के बदले में इस जमा हुए पीरियड का लीव इनकैशमेन्ट के रूप में पूरा वेतन मिल जाता है। यदि यह अवधि कम हो जाये तो उतना पैसा कम हो जाता है। इस नाते दीपक सानन को सरकार की इस मेहरबानी से करीब सात लाख से कुछ अधिक का लाभ पहुंचा है। सरकार के इस फैसले से यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या सरकार इसी तर्ज पर यह लाभ अन्य ऐसे अधिकारियों /कर्मचारियो को भी देगी जिनकी लीव इनकैशमेन्ट के लिये वांच्छित 300 दिन की अवधि पूरी नही होती हो। क्योकि सानन को यह लाभ आईएएस स्टडी के नियमों में छूट देकर दिया गया है। यहां यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या राज्य सरकार अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्टडी नियमों में छूट देने के लिये अपने तौर पर सक्षम थी भी या नही है।

यह सवाल इयलिये उठ रहे हैं क्योकि सानन 31 जनवरी 2017 को रिटायर हो गये और इसके मुताबिक वह 24 जवनरी तक स्टडी लीव पर थे। उनकी स्टडी लीव 24. 10.2016 से 24.1.2017 तक करीब तीन महीने रहती है। उन्होने सरकार के मुताबिक एनसीएईआर न्यू दिल्ली में यह स्टडी की है। स्टडी लीव नियमों के मुताबिक किसी संस्थान में स्टडी ज्वाईन करने से पहले यह छुट्टी ली जाती है। सरकार के खर्च पर स्टडी करने के बाद उस स्टडी की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होती हैं क्योंकि सरकार अपने खर्चे पर तभी स्टडी पर भेजती है। यदि उस स्टडी से सरकार को भविष्य में किसी नीति निर्धारण में लाभ पहुंचना हो। सानन के केस में तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि सानन ने तो 31.1.17 को सेवानिवृत हो जाना था और वह हो भी गये। ऐसे में उनकी स्टडी से सरकार को कोई सीधा लाभ नही पहुंचना था। नियमों के मुताबिक जिस व्यक्ति ने स्टडी के बाद एक वर्ष के भीतर ही सेवानिवृत हो जाना हो उसे सरकार अपने खर्च पर पढ़ने क्यों भेजे। फिर सानन तो स्टडी पूरी करने के ठीक एक सप्ताह बाद ही सेवानिवृत हो गये हैं। फिर जिस संस्थान से उन्होनें स्टडी की है वहां का कोई प्रमाणित एवम् स्थापित शोध पत्र भी उन्होंने सरकार को नही सौंपा है।

स्मरणीय है कि जिस दौरान वह उस स्टडी लीव पर हैं उस दौरान वह कैट में विनित चौधरी के साथ सह याचिकाकर्ता भी थे जिसमें इन्हे नजरअन्दाज करके वीसी फारखा को मुख्य सचिव बनाये जाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी थी। यहां यह भी गौरतलब है कि सानन एपपीसीए प्रकरण में अदालत में दायर चालान में अभियुक्त नामजद है। जयराम सरकार ने उनके खिलाफ मुकद्में की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है जबकि इस मामले में कोई पुन: जांच करके कोई नये तथ्य नही आये हैं। जिनके आधार पर सरकार मुकद्में की अनुमति देने के अपने अधिकार का प्रयोग करती है। इस मामले में यह प्रकरण सर्वोच न्यायालय में लंबित चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को वापिस लेने की अनुमति सरकार को देता है या नही इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। अभी सरकार ने सानन को हिपा के लिये नव गठित सलाहकार बोर्ड में भी बतौर सदस्य नियुक्ति दी है। इस सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सानन को हर कीमत पर लाभ देना चाहती है चाहे उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आईएएस स्टडी लीव नियमों मे ढील ही क्यों न देनी पड़े। मुख्यमन्त्री कार्मिक, वित्त और गृह सभी विभागों के मन्त्री भी हैं जिसका सीधा सा अर्थ है कि यह सारे फैसले उनकी अनुमति के साथ हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो स्टडी लीव का लाभ देने के लिये सरकार ने विधि विभाग की राय लेना भी ठीक नही समझा है और एक व्यक्ति को नियमों के विरूद्ध जाकर अनुचित लाभ और सरकारी कोष को हानि पहुंचाने का काम किया है।

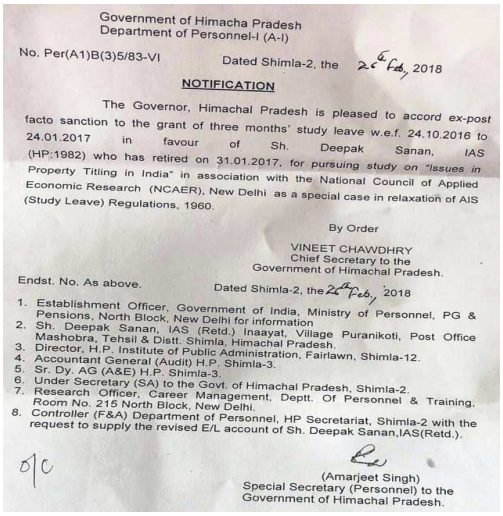

Government of Himacha Pradesh
Department of Personnel-I (A-I)

No. Per(A1)B(3)5/83-VI Dated Shimla-2, the 26th Feb, 2018

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accord ex-post facto sanction to the grant of three months' study leave w.e.f. 24.10.2016 to 24.01.2017 in favour of Sh. Deepak Sanan, IAS (HP:1982) who has retired on 31.01.2017, for pursuing study on "Issues in Property Titling in India" in association with the National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi as a special case in relaxation of AIS (Study Leave) Regulations, 1960.

By Order

VINEET CHAWDHRY
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above. Dated Shimla-2, the 26th Feb, 2018

1. Establishment Officer, Government of India, Ministry of Personnel, PG & Pensions, North Block, New Delhi for information
2. Sh. Deepak Sanan, IAS (Retd.) Inaayat, Village Puranikoti, Post Office Mashobra, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
3. Director, H.P. Institute of Public Administration, Fairlawn, Shimla-12.
4. Accountant General (Audit) H.P. Shimla-3.
5. Sr. Dy. AG (A&E) H.P. Shimla-3.
6. Under Secretary (SA) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
7. Research Officer, Career Management, Deptt. Of Personnel & Training, Room No. 215 North Block, New Delhi.
8. Controller (F&A) Department of Personnel, HP Secretariat, Shimla-2 with the request to supply the revised E/L account of Sh. Deepak Sanan,IAS(Retd.).

(Amarjeet Singh)
Special Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

क्या जनमंच के माध्यम से जनता के सही मूड का आकलन हो पायेगा

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने जनमंच के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनने और उनका तत्काल समाधान निकालने का प्रयोग आरम्भ किया है। यह प्रयोग कितना सफल होता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन राजनीतिक हल्कों में इस प्रयोग को अगले लोकसभा चुनावों के पूर्व आकलन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में देश के कुछ राज्यों में हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के जो परिणाम सामने आये हैं उसने भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस परिदृश्य में राजनीतिक विश्लेष्कों का यह मानना है कि लोकसभा के चुनाव मई 2019 के बजाये इसी वर्ष के नवम्बर - दिसम्बर तक करवाये जा सकते हैं। इसके लिये तर्क यह दिया जा रहा है कि मई आते -आते विपक्ष सही मायनों में इकट्ठा हो सकता है और एक जुट हुए विपक्ष को हरा पाना अब भाजपा के लिये संभव नही होगा। दूसरा तर्क यह है कि यदि इस वर्ष होने वाले मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में यदि भाजपा को कोई सफलता नहीं मिल पाती है तो 2019 बहुत कठिन हो जायेगा क्योंकि उत्तरप्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है वहां योगी के नेतृत्व में भाजपा कमजोर पड़ती जा रही है। वैसे भी केन्द्र सरकार अबतक न तो कश्मीरी पंडितों को वापिस बसा पायी है न ही गंगा साफ हो पायी है और न ही गो हत्या पर प्रतिबन्ध का कोई कानून आया है। यह मुद्दे भाजपा के एक लम्बे वक्त से चले आ रहे घोषित मुद्दे रहे हैं जिनपर कोई परिणाम अभी तक सामने नही आ पाये हैं।

माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान ने इस सबको सामने रखते हुए अपने प्रदेशों की सरकारों को अपना जन संपर्क बढ़ाने और जन विश्वास पाने के लिये सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दे रखे हैं। उन्हीं निर्देशों का परिणाम जनमंच माना जा रहा है। इसके माध्यम से सरकार जनता का कितना विश्वास प्राप्त कर पाती है यह तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस समय भाजपा का अपना ही संगठन प्रदेश सरकार को लेकर बहुत प्रसन्न नही है। क्योंकि पांच माह के समय में सरकार विभिन्न निगमो/बोर्डो में अपने कार्यकर्ताओं की ताजपोशीयां कर पायी है और न ही यह दो टूक फैसला ले पायी है कि उसे यह ताजपोशीयां नही करनी है। अब तक जो ताजपोशीयां हुई हैं उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि जो लोग मुख्यमन्त्री के अपने निकट थे उनको तो ताजपोशीयां दे दी गयी है। बल्कि कुछ नौकरशाहों के परिजनो को भी इनसे नवाजा गया है जिनका संगठन के लिये कोई सक्रिय योगदान नही रहा है। यहां तक कि जो शिकायत निवारण कमेटीयां सारे जिलों और प्रदेश स्तर पर बनाई जाती है अभी तक उसका गठन नही हो पाया है। जो शिकायतें यह कमेटीयां सुनती थी उसे जनमंच के माध्यम से किया जा रहा है। स्वभाविक है कि जब किसी पार्टी की सरकार आती है तब उसके कार्यकर्ताओं को सरकार से यह पहली उम्मीद रहती है जब इसमें भी भाई-भतीजावाद आ जाता है तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। दुर्भाग्य से आज प्रदेश सरकार और संगठन पांच माह में ही इस मुकाम पर पहुंच गये है। अभी जो पेयजल संकट सामने आया है उसमें कितने बड़े नेताओं ने सरकार का पक्ष जनता के सामने रखा है उसी से संगठन की सक्रियता का अनुमान हो जाता है।

इस पांच माह के अल्प समय में ही सरकार अपने होने का कोई बड़ा सकेंत नही दे पायी है। यह आम चर्चा चल पड़ी है कि यह दो तीन अधिकारियों की ही सरकार होकर रह गयी है। भ्रष्टाचार को लेकर एक भी मामले में सरकार अपने ही फैसलो पर अमल नही कर पायी है। बीवरेज कारपोरेशन को लेकर धर्मशाला में मन्त्रीमण्डल की पहली ही बैठक में लिये गये फैसले पर सरकार बैकफुट पर आ गयी है। ऐसे दर्जनों मामले घट चुके हैं जहां सरकार के फैसले कोई ज्यादा सराहनीय नही रहे हैं। पानी के मामले में जिस तरह की फजीहत सरकार को झेलनी पड़ी है उसमें यह ही नही तय हो पाया है यह कि संकट वास्तविक था या की तैयार किया गया था। आने वाले समय में वित्तिय मोर्चे पर भी सरकार की ऐसी ही फजीहत वाली स्थिति बन जाये तो यह कोई हैरानी वाली बात नही होगी। सरकार और मुख्यमन्त्री जिस तरह के सलाहकारों से घिर गये हैं यदि समय रहते इससे बाहर नही आये तो लोकसभा चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर से चारो सीटों पर विजय हासिल करना असंभव हो जायेगा।

समर्पण व इच्छाशक्ति से कार्य करें कृषि अधिकारी: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कृषि, बागवानी व पशुपालन और अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारियों विशेषकर क्षेत्रीय कर्मियों से शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।

राज्यपाल शिमला के निकट मशोबरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन, विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में कृषि विभाग द्वारा आयोजित ''प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना'' के अन्तर्गत शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर को सम्बन्धित कर रहे थे। यह शिविर कृषि, बागवानी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पर आधारित तीन प्रशिक्षण शिविरों में लोगों के उत्साह को देखकर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस कृषि पद्धति को अपनाने के लिए किसान वर्ग तैयार है। अब यह दायित्व किसानों से जुड़े संबद्ध विभागों का है कि वे इसके कार्यान्वयन में तेजी लाएं और ईमानदारी व पूर्ण समर्पण से इस दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी बिना दबाव के इच्छाशक्ति से इस कार्य को करें और समझें। उन्होंने कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस व्यवसाय को हमने चुना है और जिस विभाग में कार्यरत हैं, वहां रहते हुए अपने कार्यकाल में ईमानदारी से कार्य नहीं किया तो न केवल अपने साथ धोखा किया है बल्कि विभाग के साथ भी धोखा कर रहे हैं।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि रसायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के बावजूद भी आज उत्पादन घट रहा है और जिन फलदार पौधों पर रसायनिक स्प्रे की जाती है वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। इससे स्पष्ट है कि जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है और पौधों की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही है वह भी चिंता का विषय है। तैयार उत्पाद भी स्वास्थ्य के लिए कितने लाभप्रद हैं, यह विश्वास भी कम हो गया है। इसलिए, यह जरूरी है कि हम कृषि पद्धति में गुणात्मक सुधार लाएं जिसके लिए प्राकृतिक कृषि के विकल्प को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कृषि से संबद्ध विभागों को शून्य लागत प्राकृतिक कृषि की ओर मुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पशुपालन के बिना प्राकृतिक कृषि अधूरी है, जिसके लिए विभाग को देसी नस्ल की गाय जिनमें मुख्यतः साहीवाल, लाल सिंधी, थारपार्कर इत्यादि शामिल हैं, को बढ़ावा देना चाहिए तथा नस्ल सुधार की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने पशुपालन विभाग के फार्मासिस्टों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने पशुओं को दिए जाने वाले चारे की जांच पर भी बल दिया तथा कहा कि यूरिया युक्त चारे की मिलावट से भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि खण्ड स्तर पर गऊ शालाओं के विकास पर बल दिया।

इससे पूर्व, शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि किसान यदि किसान प्राकृतिक कृषि को अपनाते हैं तो विभाग भी अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव लाएंगे। उन्होंने प्राकृतिक कृषि से संबंधित विस्तृत रूपरेखा की जानकारी दी।

तम्बाकू प्रयोग करने वालों में आई 24 फीसदी कमी

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने हिमाचल प्रदेश की वैश्विक व्यस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (गैटस) रिपोर्ट जारी की। गैटस व्यवस्थित तरीके से व्यस्कों में तम्बाकू के प्रयोग की निगरानी तथा तम्बाकू नियंत्रण के मुख्य घटकों का पता लगाने के लिये एक वैश्विक पैमाना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की देख-रेख में प्रथम चरण का सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 में किया गया था जबकि इसका द्वितीय चरण वर्ष 2017 अंत तक चला। देश के विभिन्न 30 राज्यों में किया गया और हिमाचल प्रदेश ने तम्बाकू पर नियंत्रण की दिशा में संतोषजनक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में इस अवधि के दौरान तम्बाकू का प्रयोग करने वालों में लगभग 24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि तम्बाकू पर पूरी तरह नियंत्रण करना चुनौतिपूर्ण कार्य है, लेकिन ठोस प्रयासों से इसमें काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि शिमला को देशभर में सबसे पहले तम्बाकू मुक्त शहर घोषित किया गया था और बाद में समूचा हिमाचल तम्बाकू मुक्त हुआ। उन्होंने कहा कि हमें न केवल इस क्रम को जारी रखना है, बल्कि इसका सेवन करने वालों में और कमी लाने के प्रयास करने है।

उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, लेकिन उत्पादन कम करने में सफलता नहीं मिल रही है, जो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू के नुकसान के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, स्वयं सेवी संस्थाएं, पंचायती राज संस्थान तथा मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य में 1.30 लाख लोगों के चालान कर 1.50 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई और यह राशि प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रमों पर खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हि.प्र. सचिवालय तथा विश्वविद्यालय को पूरी तरह तम्बाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा है ताकि राज्य के दूसरे संस्थान भी इनका अनुसरण कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को इसके सेवन से बचाने पर कार्य किया जा रहा है।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुम्बई से आए डा. आलोक रंजन ने गैटस रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 16 फीसदी लोग तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं जबकि देश में यह दर 28.6 फीसदी है। इसमें बीड़ी का सेवन करने वाले काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में तम्बाकू से हर वर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तम्बाकू हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को नुकसान पहुंचाता है। धुंआ रहित तम्बाकू से फेफड़ों के केंसर का खतरा रहता है जबकि अन्य उत्पादों के सेवन में मुंह तथा गले के केंसर की बहुतायत देखने को मिलती है।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गोपाल चौहान ने हिमाचल प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण में किए जा रहे कार्यों तथा प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य तम्बाकू का सेवन करने वालों की संख्या को 10 प्रतिशत से नीचे लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस उपलब्धि को हासिल करने में मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में साईनेज लगाने के प्रयास किए लेकिन तम्बाकू उत्पादन कंपनियां यदा-कदा इन्हें हटा देती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी-सिगरेट का सेवन पूरी तरह से वर्जित है और उल्लंघन करने पर चालान किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू के उत्पाद बेचना गैर कानूनी है। इसी प्रकार नाबालिगों को तथा खुली सिगरेट बेचने पर भी प्रतिबंध है।

हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह तम्बाकू मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने इस कार्य में आम जन-मानस, विशेषकर युवाओं के सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने युवाओं का आहवान किया कि नशीले पदार्थों से दूर रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रबल इच्छाशक्ति से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

प्रदेश में जुलाई तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध: वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में पहली जून से 31 जुलाई 2018 तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन विभाग ने सामान्य जलाश्यों में किसी भी प्रकार के मछली शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि के दौरान मछली की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए विभाग विशेष शिविर लगाएगा, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी बल तैनात कर दिए गए हैं, जो जल एवं सड़क मार्गो से गश्त कर मत्स्य धन की सुरक्षा सुनिश्चित बनाएंगे। इस तरह के 16 शिविर पौंग जलाश्य, 17 शिविर गोबिन्द सागर, दो शिविर कौल डैम, दो शिविर चमेरा तथा दो शिविर रणजीत सागर में लगाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सामान्य जलाश्यों में दो माह के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। इस अवधि में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजातियों की मछलियां प्राकृतिक प्रजनन करती हैं जिससे इन जलों में स्वतः मछली बीज संग्रहण हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मत्स्य पालन विभाग द्वारा जलाश्यों में भारतीय मेजर कार्प एवं सिल्वर कार्प प्रजाति का मछली बीज संग्रहण किया जाएगा। इस अवधि के दौरान प्रदेश के जलाश्यों में कार्यरत 4090 मछुआरों को 'बन्द सीजन राहत भत्ता योजना' के अन्तर्गत दो माह के लिए 1500 रुपये की राशि प्रति मछुआरा प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि इससे संबंधित जानकारी राज्य व विभागीय वैबसाईट पर भी उपलब्ध है ताकि लोग व पर्यटक मत्स्य आखेट न करें। उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों से इस प्रतिबन्ध को सफल बनाने के लिए व्यापक सहयोग की अपील की।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

NOTICE INVITING BIDS FOR ROAD/ BRIDGE/ BUILDING WORKS.

Executive Engineer, Bharwain Division, HP PWD, Bharwain-177109 on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invited on line e-tenders on item rate basis from approved and eligible contractors registered in CPWD/ HPPWD for the following works:-

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of the documents	Time allowed for completion (Months)	Time & date of opening of technical bids.	Class of contractor
1.	Special Repair Chintpurni to Amlehar road km 5/0 to 12/0 (SH:- C/O extra width with P/L GSB & M/T in km 11/0 to 12/0)	1616843	31800`	500	Six months	11.30 AM on 29.06.2018	C&D
2.	Repair & restoration work for rain damages link road to village Kaloh km 0/0 to 4/350 (SH:- C/O Retaining wall in wire crates at RD 3/610 to 3/625, 4/100 to 4/135, 2/140 to 2/170) against DC deposit	516600	10350	350	Three months	11.30 AM on 29.06.2018	C&D
3.	Repair & restoration work for rain damages Harijan basti Nangal Jarialan km 0/0 to 2/0 (SH:- C/O Retaining wall in wire crates at RD 0/330 to 0/345, 0/480 to 0/580 & 0/700 to 0/730) against DC deposit	696305	14000	350	Three months	11.30 AM on 29.06.2018	C&D
4.	Repair & restoration work for rain damages on Bharwain Chintpurni Talwara road km 0/0 to 15/600 (SH:- C/O Retaining wall at RD 8/340 to 8/350 LHS, 9/350 to 9/358 LHS, 11/450 to 11/460 & 11/580 to 11/590) against DC deposit	841320	16850	350	Three months	11.30 AM on 29.06.2018	C&D
5.	Repair & restoration work for rain damages on Bharwain Chintpurni Talwara road km 0/0 to 15/600 (SH:- C/O Retaining wall at RD 5/950 to 5/960 LHS, 9/800 to 9/810, 13/660 to 13/673 & 14/900 to 14/907) against DC deposit	885600	17750	350	Three months	11.30 AM on 29.06.2018	C&D
6.	Repair & restoration work for rain damages on Kinnu Lohara road km 0/0 to 2/500 (SH:- C/O Retaining wall in wire crates at RD 1/800 to 1/840) against DC deposit	659280	13200	350	Three months	11.30 AM on 29.06.2018	C&D

1. Bidding documents can be downloaded from the website http://**hptenders.govt.in** from **5.00 PM on 22.06.2018.**
2. The bids can be deposited din electronic format on the website http://**hptenders.gov.in.** w.e.f. **23.06.2018 to 28.06.2018 up to 6.00 PM.** The bids received will be opened at **11.30 AM** on 29.06.2018 in the presence of the bidders who wish to attend. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
3. Bid document along with general terms and conditions of the work can be seen at and downloaded from the website http://**hptenders.govt.in.**

Adv. No.-0889/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tender on form 6 & 8 are invited by the Executive Engineer, Mandi Division No-II, H.P.PWD: Mandi for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.PWD so as to reach in his office on or before **25.06.2018 Up to 11.30 A.M.** and will be opened on the same day at 3.30 P.M. in the presence of interesting contractors or their authorized representatives who may like to be present. If it happen to be holiday on the tender will be open on next working day. The application for obtaining the tender form will be received up to 3.00 PM on 22.06.2018 and EMD should be attached during the submission of application for obtaining the tender form, without EMD application will not be accepted and the tender form can be had from this office against cash payment (Non refundable) up to 5.00 P.M. on 23.06.2018.

The earnest money in the shape of National Saving Certificate/ Time deposit accounts/Saving account in any of the Post Office and Banks of Himachal Pradesh duly pledged in favour of the Xen must accompany with each tender. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The earnest should be attached with application. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

Sr.No.	Name of Work	Estt Cost	E/Money	Cost of tender form	Time limit
	C/O Chhol to Sanehra road in village Chawari km 0/0 to 1/160 (SH:- Tarring work in km 0/715 to 1/160)	Rs.326208/-	Rs.6600/-	Rs.350	One month

GENERAL CONDITIONS:-
1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. The contractors whose rates are abnormally low may be asked to furnish the full justification of his rate failing which he will be debarred to compete in tendering for four months.
3. The contractor will not have more than two works in hand at the time of tender and only up to completion of work satisfactory including adherence to quality parameters further work will be awarded to him. All under taking that he is not having more than two works in hand must be recorded in the application.
4. The contractors must have the necessary machinery such as Hot Mix plant, Road Roller etc.

Adv. No.-0837/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

बजट की 30 नई योजनाओं की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चम्बा जिले के ऐतिहासिक चौगान मैदान में भव्य जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया गया 'जनमंच' कार्यक्रम लोगों की शिकायतों का प्रभावी रूप से निराकरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 'गृहिणी सुविधा योजना' आरम्भ की गई है जिसके तहत राज्य में शेष बचे हुए परिवारों को गैस कनैक्शन प्रदान किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन क्षमता के दोहन के लिए राज्य सरकार द्वारा नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अपने पांच माह के कार्यकाल के दौरान जन कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा में विश्वास व्यक्त किया है जिस कारण प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है और राज्य सरकार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि वे पूरे प्रदेश के समान विकास में अपना सहयोग दें। उन्होंने प्रदेश की बागडोर सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली मंत्रिमण्डल की बैठक में ही वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को बिना आय सीमा के 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया, जिससे 1. 30 लाख वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं तथा प्रदेश सरकार इस पर हर वर्ष 200 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्य नहीं करेगी, लेकिन दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र विकास से अछूते हैं उनके विकास पर विशेष ध्यान देते हुए, सरकार पूरे प्रदेश का विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक विधानसभा में 20 बजट पेश होते हुए देखे हैं लेकिन इस बार उनके द्वारा प्रस्तुत बजट में 30 नई योजनाओं को आरम्भ करने की घोषणा की गई है जो अपने आपमें रिकार्ड है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए 69 राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए, लेकिन पूर्व सरकार ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। पूर्व सरकार ने तीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की निविदाओं को आउटसोर्स करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, यह देश के लोगों का भाजपा में विश्वास व लोकप्रियता को दर्शाता है।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने पुलिस लाईन चम्बा के इबरगाह में सीआईडी का कार्यालय व आवास की आधारशिला रखी। इसके निर्माण पर 1. 62 करोड़ रुपये व्यय होंगे। उन्होंने 3. 99 करोड़ रुपये की लागत से चम्बा से झुमर सड़क का स्तरोन्नयन, चौड़ा करने तथा मेटलिंग और 5.03 करोड़ रुपये की लागत से लुडडू बट सड़क की मेटलिंग व टारिंग की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने करियां-बरियां सड़क पर करियां में रावी नदी पर 7.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पुल की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्रे ने धर्म मल्होत्रा द्वारा लिखित पुस्तक 'चम्बा का इतिहास एवं संस्कृति' का विमोचन भी किया।

20 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल चम्बा को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा।

चम्बा शहर के सौन्दर्यकरण के लिए 20 लाख की घोषणा। बाद में वृहद सौन्दर्यकरण की योजना को वित्तपोषण के लिए एशियन विकास बैंक को भेजा जाएगा।

सुलतानपुर के लिए मल निकासी की योजना।

संस्कृत कॉलेज चम्बा को सभी औपचारिकताओं के पूर्ण करने के उपरान्त सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा।

सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने मुख्यमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जय राम ठाकुर के रूप में युवा मुख्यमंत्री मिले हैं जो एक आम आदमी तथा गरीबों के दुःख-दर्द को भली-भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है और उनके कुशल नेतृत्व में नव भारत का स्वप्न साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा को देश का पिछड़ा जिला घोषित किया गया है ताकि जिले में विकास की गति में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि चम्बा में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा।

विधायक पवन नैय्यर ने मुख्यमंत्री का चम्बा विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए प्राथमिकता देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इस क्षेत्र की विकास की दृष्टि से उपेक्षा की थी। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी तथा मुख्यमंत्री को स्थानीय मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।

गुम्मा से शिमला को मिलेगा तीन एमएलडी अतिरिक्त पानी: महेन्द्र सिंह

शिमला/शैल। गुम्मा पंपिग स्टेशन से अब शिमला शहर के लिए प्रतिदिन लगभग 14 एमएलडी पानी मिलेगा, जो पहले केवल 11 एमएलडी प्राप्त हो रहा था। इससे शिमला में और अधिक क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति हो सकेगी।

नौटी खड्ड से शिमला के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने गुम्मा का दौरा कर ग्राम पंचायत देवला, मझीवड़ तथा गुम्मा के जन प्रतिनिधियों तथा आम लोगों के साथ एक बैठक की। लगभग तीन घण्टे तक चली इस बैठक में क्षेत्र के किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई के उद्देश्य से किए जा रहे कूहलों के उपयोग पर मंत्री के साथ विस्तार से विचार-विमर्श के बाद आग्रह करने पर इस बात पर सहमति जताई कि वे गुम्मा पंपिग स्टेशन के लिए अब 12 घण्टे की बजाए 15 घण्टे पानी छोडेंगे। इसकी समय-सारिणी पर सहमति बनी की नित्य प्रति सांय तीन बजे से प्रातः छः बजे तक गुम्मा पम्पिंग स्टेशन के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जबकि शेष नौ घण्टे लोग कूहलों का उपयोग कर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों के इस उदार दृष्टिकोण की सराहना करते हुए उनका आभार जताया कि लोगों ने मानवता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और उनकी यथासंभव सहायता की जाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर गुम्मा क्षेत्र की सभी पुश्तैनी कूहलों को पक्का करने का आश्वासन दिया तथा विभाग को इनकी डीपीआर तैयार करने को कहा। लोगों का तर्क था कि कूहलें बहुत पुरानी अथवा कच्ची हैं, जिनमें लगभग एक से तीन किलोमीटर तक की दूरी से पानी आ रहा है और खेतों तक महज 50 प्रतिशत पानी ही पहुंच पाता है, शेष पानी बर्बाद हो जाता है।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने गुम्मा पंचायत की कुछ बस्तियों में टुल्लू पंप लगाने के लिए भी विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में पानी की पुरानी पाईपों को बदलने को भी कहा। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी पानी का रिसाव अथवा दुरूपयोग नहीं होना चाहिए और विभाग को इसे रोकने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने नौटी खड्ड पर विभिन्न स्थानों पर चैक डैम लगाने तथा वर्षा जल संग्रहण टैंकों का निर्माण करने की भी बात कही।

इससे पूर्व, मंत्री ने प्रातःकाल गुम्मा पम्पिंग स्टेशन का दौरा कर मशीनरी तथा जल भण्डारण टैंको का बारिकी से निरीक्षण किया। जहां-जहां भी कमी नजर आई, मौके पर विभागीय अधिकारियों को इसे तुरंत ठीक करने को कहा। उन्होंने विशेष तौर पर फिल्टर टैंकों का निरीक्षण कर पानी की स्वच्छता का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पानी लिफ्ट करने के लिए बेशक और मशीनरी खरीदी जाए, लेकिन इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर स्वयं शिमला शहर में पानी की आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं और इस संबंध में प्रतिदिन उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वह स्वयं पिछले दो दिनों से फील्ड में जाकर पानी की आपूर्ति की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और मौके पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। वह गिरी पम्पिंग स्टेशन का दौरा कर शिमला के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने के प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि शहर के लिए जो पानी की आपूर्ति की समय-सारिणी निर्धारित की गई है, इसके अनुसार स्थिति अगले दो-तीन दिनों में बेहतर हो जाएगी। उन्होंने लोगों से पानी का न्यायसंगत उपयोग करने की अपील की है।

वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए दी जायेगी हर संभव वित्तीय सहायता : गोविन्द सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने प्रदेश के सभी वन क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी वृतों के मुख्य अरण्यपालों के साथ वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से

वार्तालाप किया। इस दौरान प्रदेश में वनों में बढ़ती आग की घटनाओं पर चर्चा की गई। वन मंत्री ने कहा कि वनों में आग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग के प्रत्येक कर्मचारियों व अधिकारियों को सजग होकर कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वनों में आगजनी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार हर स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी अरण्यपालों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों, जिला पुलिस अधीक्षकों, अग्निशमन, आईटीबीपी, एसएसबी, गृहरक्षक विभाग के प्रभारियों से बैठक कर उनसे आग की घटनाओं को रोकने के लिए सहयोग मांगें ताकि वन में लगने वाली आग की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने अरण्यपालों को अपने-अपने वृत स्तर पर फोरेस्ट फायर फाईटिंग फोर्स के स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ाने व वन अग्नि नियंत्रण में उनका सहयोग लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वन आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए हैलीकॉप्टर का प्रबन्ध किया गया है। अरण्यपालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में दुर्गम स्थानों, निकटतम पानी के स्त्रोंतों की पहचान करें व आवश्यकता पड़ने पर वे हैलीकॉप्टर की सेवाएं भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा हर संभव वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार प्रत्येक अरण्यपाल, वन मण्डलाधिकारी वन अग्नि नियंत्रण के लिए वाहनों को किराए पर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वन वृत प्रतिदिन वन अग्नि की घटनाओं व अन्य घटनाओं की जानकारी नोडल अधिकारी आलोक नागर, मुख्य अरण्यपाल परियोजना टॉलेंड शिमला को दे सकते हैं।

वन मंत्री ने डलहौजी वन मण्डल के डिप्टी रेंजर अशोक कुमार की वन अग्नि नियंत्रण कार्रवाई के दौरान मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सभी अरण्यपालों को कहा कि आग बुझाते समय कर्मचारियों के साथ सम्पर्क में रहें, जिससे उनका मनोबल बना रहे और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा सके, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा 16,571 आवेदनों पर फैसला

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा 25,534 मूल आवेदन प्राप्त किए गए जिनमें से 31 मई, 2018 तक 16,571 मूल आवेदनों पर अन्तिम निर्णय लिया गया है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 496 अवमानना याचिकाओं, 29 समीक्षा याचिकाओं, 77 निष्पादन याचिकाएं और 7059 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से भी 6458 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1471 मामले अन्तिम रूप से निपटा दिए गए हैं।

अप्रैल 2018 में दो सदस्यों के पद छोड़ने के उपरान्त ट्रिब्यूनल में वर्तमान में अध्यक्ष, बैंच तथा एक न्यायिक सदस्य बैंच कार्यरत है।

जनमंच से प्राप्त हुई 4210 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा

शिमला/शैल। मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने बताया कि प्रदेशभर में जनमंच योजना के अन्तर्गत पहले जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने अपनी-अपनी शिकायतें प्रस्तुत की। कार्यक्रम के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में 4210 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि लाहौल स्पिति विधानसभा क्षेत्र के केलंग में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने, शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के गानवी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के रे गांव में, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र की मटरेनी पंचायत में, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बिलासपुर जिला के कोट-कैहलूर विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में, कृषि मंत्री राम लाल मारकण्डा ने किन्नौर जिला के सांगला में, स्वास्थ्य मंत्री विपीन सिंह परमार ने ऊना जिला के ऊना विधानसभा क्षेत्र के ऊना स्थित विश्राम गृह में, ग्रामीण विकास मंत्री विरेन्द्र कवर ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के धनेटा में, कुल्लू जिला की विधानसभा क्षेत्र कुल्लू के ग्राम पंचायत भुट्टी में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, वन मंत्री गोबिन्द सिंह ठाकुर ने मण्डी जिला के जोगिन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मटरू में तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने सिरमौर जिला के शिलाई के गांव ददास में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

दण्डनीति के प्रभावी न होने से मंत्रीगण भी बेलगाम होकर अप्रभावी हो जाते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

फिर हुई भाजपा की वैचारिक हार

कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद देश में चार लोकसभा और ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये उपचुनाव हुआ है। इस उपचुनाव में भाजपा लोकसभा की तीन और विधानसभा की दस सीटें हार गयी है। कर्नाटक चुनाव के बाद जद(एस) और कांग्रेस ने मिलकर उस समय सरकार बनायी जब भाजपा सदन में अपना बहुमत सिद्ध नही कर पायी। लेकिन भाजपा और उसके पक्षधरों ने जिस तरह से इस गठबन्धन को लोकतन्त्र की हत्या करार दिया तथा इसके तर्क में पूर्व के सारे राजनीतिक इतिहास को जनता के सामने परोसा उसमें लगा था कि अब भाजपा एक भी उपचुनाव अन्य दलों को जीतने नही देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि वह पिछला उपचुनाव अति विश्वास के कारण हारे हैं लेकिन आगे हम कोई भी सीट नही हारेंगे पूरी ताकत और रणनीति से लड़ेंगे। सही में इस उपचुनाव में योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी यहां तक की बागपत में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की एक रैली तक करवाई। इस रैली में हर तरह की घोषणाएं प्रधानमन्त्री से यहां के लोगों के लिये करवाई। लेकिन इस सब के बावजूद यूपी की दोनों सीटों पर भाजपा हार गयी। बिहार में नीतिश भाजपा की सरकार होने के बावजूद वहां पर आरजेडी भारी बहुमत से जीत गयी।

भाजपा की यह हार क्या विपक्ष की एक जूटता के प्रयासों का परिणाम है या यह हार संघ भाजपा की नीयत –नीति और विचारधारा की हार है। यह एक बड़ा सवाल इन उपचुनावों के बाद विश्लेष्कों के सामने खड़ा हो गया है। क्योंकि भाजपा ने पिछले चुनावों में किसी भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नही बनाया था। फिर पिछले दिनों जिस तरह तीन तलाक के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और उसे भाजपा ने केन्द्र सरकार की एक बड़ी सफलता करार दिया तथा दावा किया कि मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा हो गया है। आज यूपी में आरएलडी के उम्मीदवार के रूप में एक मुस्लिम महिला का चुनाव जीत जाना भाजपा के दावे और धारणा दोनों को नकारता है। यूपी से शायद पहली मुस्लिम महिला सांसद बनकर संसद में पहुंची है। इस उपचुनाव से पहले आरएलडी प्रमुख अजीत चौधरी के खिलाफ मुकद्दमा तक दर्ज किया गया। बिहार में लालू परिवार के खिलाफ तो मामले आगे बढ़ाये गये लेकिन नीतिश कुमार के खिलाफ बने आपराधिक मामले में एक दशक से भी अधिक समय से कोर्ट का स्टे चल रहा है। रविशंकर प्रसाद जब विधानसभा चुनावों के दौरान शिमला आये तब उनकी प्रैस वार्ता में मैने उनसे यह सवाल पूछा था। उन्होनें इस स्टे को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। यह संद्धर्भ यहां इसलिये प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि बिहार की जनता के सामने लालू और नीतिश –भाजपा में किसी एक को चुनने का विकल्प था। बिहार की जनता ने दूसरी बार लालू की आरजेडी को उपचुनाव में समर्थन दिया है।

इस परिदृश्य में भाजपा की हार का विश्लेषण किया जाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इन उप चुनावों में पचास से अधिक केन्द्रिय मन्त्रीयों की बूथ वाईज़ ड्यूटीयां लगायी गयी थी। एक मन्त्री राही ने जनता को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया था कि यदि आप भाजपा को वोट नही दोगे तो मै तुम्हे श्राप दे दुंगा और उससे तुम्हें पीलिया हो जायेगा। न्यूज चैनल ने मन्त्री का यह संबोधन लाईव दिखाया था। इसी मन्त्री की तरह संघ भाजपा के कई कट्टर कार्यकर्ता सोशल मीडिया में नेहरू गांधी परिवार को गाली देने के लिये जिस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिस तरह से इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मनचाही व्यख्या दे रहे उससे उनके मानसिक स्तर का ही पता चलता है। प्रधानमन्त्री स्वयं जिस तरह से कई बार इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और एकदम हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं उस पर तो कर्नाटक चुनावों के बाद पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह स्वयं राष्ट्रपति को पत्र लिख चुके हैं। संघ अपने को इस देश की संस्कृति का एक मात्र ध्वज वाहक मानता है। इस देश की सांस्कृतिक विरासत में भाषा की शालीनता सर्वोपरि रही है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अपने को संघ स्वयंसेवक करार देने वाले सोशल मीडिया की पोस्टों में भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर रहें हैं। ऐसे लोग जिस तरह का झूठ परोस रहे हैं उससे अन्ततः संघ और भाजपा का ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि जिस तरह के तथ्य नेहरू गांधी परिवार को लेकर परोसे जा रहे हैं उस पर जनता विश्वास करने की बजाये परोसने वालों के प्रति ही एक अलग धारणा बनाती जा रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अतार्किक ब्यानों और हल्की भाषा के प्रयोग से केवल यही सदेश जाता है कि आप केवल सत्ता हथियाने के लिये ही ऐसे ओछे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यह आम माना जाने लगा है कि भाजपा के आई टी सैल में नियुक्त हज़ारों लोग केवल **गोयल** के इसी प्रयोग पर अमल कर रहे हैं कि एक झूठ को सौ बार बोलने से वह सच बन जाता है।

आज प्रधानमन्त्री यह दावा कर रहे हैं कि देश में रिकार्ड विदेशी निवेश हुआ है जबकि दूसरी ओर मूडीज़ ने सरकार के विकास दर 7.5% रहने के आकलन को 7.3% आंका है। यदि प्रधानमन्त्री का विदेशी निवेश का दावा सच्च है तो फिर विकास दर तो 8% से ऊपर होनी चाहिये थी। आज जनता ने प्रधानमन्त्री के दावों और ब्यानों को गंभीरता से लेने की बजाये शुद्ध शब्द जाल करार देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर अच्छे दिनो का जो भरोसा देश की जनता को दिया गया था वह पूरी तरह टूट चुका है। यूपी के उपचुनावों की हार योगी से अधिक मोदी की हार है। भाजपा के पास मोदी और शाह के अतिरिक्त कुछ भी नही है और यह दोनों अपनी विश्वनीयता तेजी से खोते जा रहे हैं। क्योंकि इस उपचुनाव में कैराना में हुई हार पर भाजपा समर्थकों की यही प्रतिक्रिया आई है कि यह हिन्दुत्व की हार है। ऐसी प्रतिक्रिया पर यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या यह चुनाव यह जानने के लिये हो रहा था कि हिन्दु मुस्लिम में से कौन अच्छा इन्सान है या देश की संसद के लिये एक अच्छा सांसद चुनकर भेजने के लिये हो रहा था। इस उपचुनाव में जिस तरह जिन्ना का प्रकरण लाया गया और उसपर मुख्यमन्त्री योगी की यह प्रतिक्रिया आना कि हम यहां पर जिन्ना की फोटों नही लगने देंगे। एक मुख्यमन्त्री की इस तरह का वैचारिक हल्कापन जब सार्वजनिक रूप से सामने आता है तब संगठनों को लेकर एक अलग ही आंकलन का धरातल तैयार होता है आज भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण यही बनता जा रहा है।

उपचुनावों के आधार पर लोकसभा चुनाव आंकना भूल होगी

19 मार्च को योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण कर रहे है। भारी बहुमत, जनता की अपेक्षाओं और आशीर्वाद के बीच यूपी के मुख्यमंत्री बनने के ठीक एक साल बाद अपने प्रदेश के दो लोकसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में इस प्रकार के नतीजों की कल्पना तो योगी आदित्यनाथ और भाजपा तो छोड़िये देश ने भी नहीं की होगी। ''डॉ नीलम महेंद्र''

वो भी तब जब अपने इस एक साल के कार्यकाल में उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद यूपी के गुंडा राज को खत्म करने और वहाँ की बदहाल कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एन्काउन्टर पर एन्काउन्टर जारी रखे। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक बार 48 घंटों में 15 एन्काउन्टर तक किए गए।

वादे के अनुरूप सत्ता में आते ही अवैध बूचड़खाने बन्द कराए। अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के ऋण माफी की घोषणा की। लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐन्टी रोमियो स्कवैड का गठन किया। अपनी सरकार में वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में कदम उठाए। यूपी के पेट्रोल पंपों पर चलने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। प्रदेश को बिजली की बदहाल स्थिति से काफी हद तक राहत दिलाई। परीक्षाओं में नकल रुकवाने के लिए वो ठोस कदम उठाए कि लगभग दस लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने ही नहीं आए। लेकिन इस सब के बावजूद जब उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के परिणाम विपरीत आते हैं तो न सिर्फ यह देश भर में चर्चा का विषय बन जाते हैं बल्कि सम्पूर्ण विपक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार भी कर देते हैं। शायद इसी ऊर्जा ने चन्द्र बाबू नायडू को राजग से अलग हो कर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रेरित किया। खास बात यह है कि भाजपा की इस हार ने हर विपक्षी दल को भाजपा से जीतने की कुंजी दिखा दी, 'उनकी एकता की कुंजी'।

भाजपा के लिए समय का चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है। जहाँ अभी कुछ दिनों पहले ही वाम के गढ़ पूर्वोत्तर के नतीजे भाजपा के लिए खुश होने का मौका लेकर आए, वहीं उत्तरप्रदेश और खास तौर पर गोरखपुर के ताजा नतीजों के अगले कुछ पल उसकी खुशी में कड़वाहट घोल गए। इससे पहले भी भाजपा अपने ही गढ़ राजस्थान और मध्यप्रदेश के उपचुनावों में भी हार का सामना कर चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि इस प्रकार के नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं?

हालांकि एक या दो क्षेत्रों के उपचुनाव के नतीजों को पूरे देश के राजनैतिक विश्लेषण का आधार नहीं बनाया जा सकता लेकिन फिर भी यह नतीजे कुछ तो कहते ही हैं। कहने को कहा जा सकता है कि भाजपा का पारम्परिक वोटर वोट डालने नहीं गया और इसलिए कम वोटिंग प्रतिशत के कारण भाजपा पराजित हुई लेकिन हार तो हर हाल में हार ही होती है और उसे जीत में बदलने के लिए अपनी हार और अपने विरोधी की जीत दोनों का ही विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

उत्तर प्रदेश की ही बात लें। क्या दो लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का संकेत है? जी नहीं, खुद अखिलेश इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी इस जीत में बसपा के वोटबैंक का पूरा योगदान है और वह अकेले अपने दम पर इसे हासिल नहीं कर सकते थे।

दरअसल बात भाजपा प्रत्याशियों के हारने की नहीं उनकी हार में छिपे उस संदेश की है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी छोड़ी सीट इसलिए हार गए क्योंकि वे अपने ही संसदीय क्षेत्र के लोगों का दिल नहीं जीत पाए।

बात समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन की जीत की नहीं इस जीत में छिपे उस संदेश की है कि आज भी 'जाति की राजनीति' के आगे 'भ्रष्टाचार और विकास' कोई मुद्दा नहीं हैं। यह न सिर्फ कटु सत्य है किन्तु दुर्भाग्य भी है कि इस देश में आज भी विकास पर जाति हावी हो जाती है। सत्ता के लालच के लिए जाति और वोट बैंक के गणित के आगे सभी दल अपने आपसी मतभेद, मान अपमान के मुद्दे और दुशमनी तक भुलाकर एक हो जाते हैं। जैसा कि अभी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा में वो सभी दल एक जुट हो गए जो राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। जैसे आंध्र की वाईएसआर कॉंग्रेस पार्टी और तेलुगू देसम और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कॉंग्रेस और माकपा।

देश की राजनीति और लोकतंत्र के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि ये सभी विपक्षी दल देश की जनता के सामने देश हित की कोई स्पष्ट नीति अथवा ठोस विचार रखे बिना केवल मात्र स्वयं को एकजुटता के साथ प्रस्तुत करके भी अपने अपने वोट बैंकों के आधार पर आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर लेते हैं।

लेकिन वोटिंग प्रतिशत और जाति गत आँकड़ों का विश्लेषण करके सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोजने वाले यह विपक्षी दल चुनावी रणनीति बनाते समय यह भूल जाते हैं कि देश का वोटर समझदार हो चुका है। वो उस ग्राउंड रिपोर्टिंग को नजरअंदाज करने की भूल कर रहे हैं कि देश की जनता भाजपा के स्थानीय नेताओं और ढुलमुल रवैये से मायूस है जो इन नतीजों में सामने आ रही है लेकिन ''मोदी ब्रांड'' पर उसका भरोसा और मोदी नाम का आकर्षण अभी भी कायम है।

आज चुनाव जीतने के लिए वोटर और जातिगत आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका मनोविज्ञान समझना और उससे जुड़ना है। और इसमें कोई दोराय नहीं कि आज भी देश के आम आदमी के मनोविज्ञान और भरोसे पर मोदी ब्रांड की पकड़ बरकरार है। जब बात देश की आती है तो इस देश के आम आदमी के सामने आज भी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए चुनावी पंडित अगर वोटर के मनोवैज्ञानिक पक्ष को नजरअंदाज करेंगे तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। आगामी लोकसभा चुनावों की बिसात बिछाते समय विपक्ष इस बात को न भूले कि 'ये पब्लिक है ये सब जानती है।'

चुनाव आयोग पर फिर उठे सवाल

– शेष नारायण सिंह –

पहली बार चुनाव आयोग का खुद का इकबालिया ब्यान आया है कि बड़े पैमाने पर मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है। तरह-तरह के आरोप-प्रत्यारोप हवा में हैं लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार करके मामले को बहुत ही गंभीर बना दिया है। एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग उठ रही है। लेकिन जिन लोगों ने मतदान के दौरान उम्मीदवारों के गुंडों को बूथ में घुसकर जबरदस्ती बैलेट पेपरों पर मुहर लगाते देखा है उनको मालूम है कि वह रास्ता तो बिलकुल सही नहीं है, खासकर जब लोकतांत्रिक मान्यताओं वाले राजनेता चुनाव प्राक्रिया से बाहर हो रहे हैं और संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोग भरते जा रहे हैं जिनके आपराधिक रिकार्ड सारी दुनिया को मालूम हैं।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई है। कैराना और भंडारा-गोंदिया उपचुनाव में ईवीएम में बड़े पैमाने पर खामियां पाई गई और चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि करीब बीस प्रतिशत मशीनें खराब थीं और करीब 122 बूथों पर फिर से मतदान करवाए गए। कैराना में 73 बूथों पर दोबारा वोट डालने का आदेश दे दिया गया। यानी एक से डेढ़ लाख वोटों के बारे में संदेह की बात को चुनाव आयोग ने स्वीकार करके वहां दोबारा मतदान का फैसला कर लिया। उत्तरप्रदेश में तो बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारियों से की थी। यही राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग की सेवाओं की उपभोक्ता होती हैं। जब सभी पार्टियां ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं तो सबके लिए चिंता की बात है और लोकतंत्र की मूल अवधारणा को ही सवालों के घेरे में ले लिया गया है।

कैराना और गोंदिया में मतदान शुरू होते ही ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आने लगी थी। बीजेपी की तरफ से किसी जेपीएस राठौर नाम के व्यक्ति ने लखनऊ में बाकायदा चिट्ठी लिखकर मशीनों की खराबी की शिकायत की थी। दिन में ही विपक्षी पार्टियों के नेता भी नई दिल्ली में निर्वाचन सदन गए और ईवीएम में खराबी की शिकायत की। उन लोगों ने तो और भी आरोप लगाए, सरकार और चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाया लेकिन उसकी सत्यता या असत्यता के बारे में टिप्पणी करना किसी पत्रकार के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में बूथों पर दोबारा मतदान करवाने का आदेश दे दिया। विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई शिकायत में अधिकारियों पर ईवीएम मशीनों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। इस बात को थोड़ा बल इसलिये मिल गया है कि चुनाव आयोग ने गोंदिया के कलेक्टर को वहां से हटाने का आदेश दे दिया है।

चुनाव आयोग ने मौके पर तैनात आब्जर्वरों के सुझाव के आधार पर यह सारी कारवाई की। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आब्जर्वरों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उनमें गड़बड़ी थी इसलिए दुबारा मतदान का आदेश दिया गया है। आयोग की तरफ से कई ऐसे भी तर्क दे दिए गए जो चुनाव आयोग की क्षमता पर सवालिया निशान उठा देते है। बताया गया कि इन मशीनों के बारे में चुनाव संपन्न कराने वाले कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और मशीनें भयानक गर्मी के कारण भी सही काम नहीं कर पाईं। हालांकि आयोग की तरफ से कहा गया कि वीवीपैट मशीनों में ही गड़बड़ी पाई गई लेकिन शंका के बीज तो चुनाव आयोग ने डाल ही दिए हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एक अखबार को बताया कि वीवीपैट मशीनों में खराबी कोई नई बात नहीं है लेकिन उसको तुरंत सुधार लिया जाता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2019 का चुनाव पूरी तरह से ईवीएम और वीवीपैट के जरिये ही करवाया जाएगा। 28 मई को संपन्न हुए उपचुनावों के दौरान जो कुछ भी हुआ वह लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से नुकसानदेह साबित होगा।

ऐसा नहीं है कि पहली बार मतदान के तरीकों की विश्वसनीयता पर राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है। खासकर विपक्षी पार्टियां इस तरह की बातें अकसर करती रही हैं लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ऐसी थी कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज की भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व अवतार में भारतीय जनसंघ नाम से जानी जाती थी। 60 के दशक में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई तो जनसंघ एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभरी। जनसंघ के बड़े नेता थे, प्रो. बलराज मधोक। 1967 में इनके नेतृत्व में ही जनसंघ ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और उत्तर भारत में कांग्रेस के विकल्प के रूप में आगे बढ़ रही थी लेकिन 1971 के लोकसभा चुनावों में पार्टी बुरी तरह से हार गई। बलराज मधोक भी चुनाव हार गए, उनकी पार्टी में घमासान शुरू हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी नए नेता के रूप में उभरे और बलराज मधोक को जनसंघ से निकाल दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के पहले बलराज मधोक ने 1971 के चुनावों की ऐसी व्याख्या की थी जिसे समकालीन राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी बहुत ही कुतूहल से याद करते हैं। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया और उनकी पार्टी भारी बहुमत से विजयी रही थी। भारतीय जनसंघ को भारी नुकसान हुआ लेकिन प्रो. मधोक हार मानने को तैयार नहीं थे।

उन्होंने एक आरोप लगाया कि चुनाव में प्रयोग हुए मतपत्रों में रूस से लाया गया ऐसा केमिकल लगा दिया गया था जिसकी वजह से, वोट देते समय मतदाता चाहे जिस निशान पर मुहर लगाता था, मुहर की स्याही खिंचकर इंदिरा गांधी के चुनाव निशान, गाय बछड़ा पर ही पहुंच जाती थी। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम कांग्रेस और चुनाव आयोग ने पूरे देश में करवा रखा था। बलराज मधोक ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस चुनाव जीती नहीं है, केमिकल लगे मतपत्रों की हेराफेरी की वजह से कांग्रेस को बहुमत मिला है। मधोक के इस सिद्धांत को आम तौर पर हास्यास्पद माना गया।

अपने भारतीय जनता पार्टी अवतार में भी पार्टी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाया था। लोकसभा चुनाव 2009 के बाद भी कांग्रेस को सीटें उसकी उम्मीद से ज्यादा ही मिली थीं। बीजेपी के नेताओं की उम्मीद से तो दुगुनी थी। बीजेपी के नेता चुनाव नतीजों के आने के बाद दंग रह गए। कुछ दिन तो शांत रहे लेकिन थोड़ा संभल जाने के बाद पार्टी के सर्वोच्च नेता लालकृष्ण आडवानी ने आरोप लगाया कि चुनाव में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की गई उसकी चिप के साथ बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी लिहाजा कांग्रेस को आराम से सरकार चलाने लायक बहुमत मिल गया और आडवानी जी प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए। उसके बाद तेलुगू देशम और राष्ट्रीय जनता दल ने भी यही बात कहना शुरू कर दिया।

उसी साल दक्षिण मुंबई से शिवसेना के पराजित उम्मीदवार मोहन रावले ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और प्रार्थना की कि पंद्रहवीं लोकसभा का चुनाव रद्द कर दिया जाये। उनका आरोप था कि ईवीएम से चुनाव करवाने में पूरी तरह से हेराफेरी की गई है। अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में तो उन्होंने लगभग पूरी तरह से ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पर भरोसा जताया और वहां के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी।

हालांकि यह भी सच है कि ईवीएम का आविष्कार लोकतंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईवीएम शुरू होने के कारण बाहुबलियों और बदमाशों की बूथ कैप्चर करने की क्षमता लगभग पूरी तरह से काबू में आ गई थी। बैलेट पेपर के जमाने में इनकी ताकत बहुत ज्यादा होती थी। बंडल के बंडल बैलेट पेपर लेकर बदमाशों के कारिंदे बैठ जाते थे और मनपसंद उम्मीदवार को वोट देकर विजयी बना देते थे। शुरू में ऐसा माना जाता था कि ईवीएम के लागू होने के बाद यह संभव नहीं है। मशीन को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि एक वोट पूरी तरह से पड़ जाने के बाद ही अगला वोट डाला जा सकता है। ऐसी हालत में अगर पूरी व्यवस्था ही बूथ कैप्चर करना चाहे और किसी भी उम्मीदवार का एजेंट विरोध न करे तभी उन्हें सफलता मिलेगी। सबको मालूम है कि अस्सी के दशक में गुंडों ने जब राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया तब से जनता के वोट को लूटकर लोकतंत्र का मखौल उड़ाने का सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि बूथ कैप्चर करने की क्षमता को राजनीतिक सद्गुण माना जाने लगा था। इसके चलते हर पार्टी ने गुंडों को टिकट देना शुरू कर दिया था। इन मशीनों के कारण शुरुआती दौर में बहुत कम बाहुबली चुनाव जीतने में सफल हो पाते थे। लोग मानने लगे थे कि बदमाशों के चुनाव हारने में ईवीएम मशीन का भी बड़ा योगदान होता था। चुनाव आयोग दावे भी करता था कि सब सही है। तत्कालीन चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने एक सेमिनार में दावा किया था कि ईवीएम लगभग फूल-प्रूफ है। इसकी किसी भी गड़बड़ी को कभी भी जांचा परखा जा सकता था।

लेकिन अब वह बात नहीं है। कैराना और गोंदिया में जो हुआ और चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपनी गलती मानी उसके बाद उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग को अपनी रहबरी की हैसियत को फिर से स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए।

पत्रकारिता: प्रतिबद्धता का गहराता संकट

जब हम अपनी नाक में इत्र का फाया ठूंस लेते हैं तो बदबू आना भले ही बंद हो जाए लेकिन सड़ांध खत्म नहीं होती। मीडिया दफ्तरों में बैठे खुशबू से सराबोर साथियों ने स्वयं को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन वह यह भूल गए कि सांप्रदायिकता और राजनीतिक विद्वेश की यह बीमारी आज नहीं तो कल उन्हें भी ले डूबेगी और डिजिटल मीडिया के इस युग में तमाम पोर्टल व सामान्य नागरिकों की सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता और विवेक ने उनके सामने चुनौती खड़ी कर दी है। यह कुलीनतंत्र जिसकी तरफदारी के लिए फासीवाद व नवनाजीवादी ताकतें खड़ी हैं अधिक दिन तक इस तंत्र को बचाएंगी नहीं क्योंकि अंततः वे ही इस पर कब्जा कर लेंगी जैसा कि हम राजनीति में देख चुके हैं। भारत के तमाम बड़े पूंजीपतियों ने सन् 2014 के चुनाव में कांग्रेस के शासनारूढ़ होने के बावजूद भाजपा/आरएसएस परिवार का साथ दिया और अंततः उन्हें विजयी बना भी दिया। यह गठबंधन उनकी आशाओं पर खरा उतरा है।

कोबरा पोस्ट द्वारा मीडिया संस्थानों पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन की रिकार्डिंग देखने-सुनने के बाद एकाएक कोई प्रतिक्रिया दिमाग में नहीं उभरती बल्कि उबकाई सी आती है। हम जब किसी विकृत लाश को देखते हैं तो एकाएक उसके अतीत, या उसकी पहचान नहीं ढूंढते एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हमारे अंदर से उठती है। ऐसा ही कुछ इन्हें देखकर भी लगा। इसे अतिरेक की संज्ञा भी दी जा सकती है। कुछ समय पहले एक जुमला चला था, इतिहास का अंत! यह कितना खरा था या खोटा यह तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अतीत तो घट चुका है, अतएव वह तो स्थायी है, उसका अंत संभव नहीं है। अंत तो भविष्य का संभव है। परंतु यह स्टिंग बता रहा है कि भारत में पत्रकारिता का अंत अब अधिक दूर नहीं है। ऑपरेशन 136 व 136-दो में जिन मीडिया घरानों से बातचीत की गई है, उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। आपातकाल में तो प्रेस की आजादी को सरकार ने दबाया था और तब भी कहीं न कहीं चिंगारी सुलग ही रही थी। परंतु कोबरा पोस्ट खुलासे से साफ जाहिर होता है कि मीडिया का बड़ा वर्ग सोने की जंजीर में स्वयं को जकड़ कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इसके लिए वह राष्ट्र की एकता, संप्रभुता व सांप्रदायिक सौहार्द्र तक की अनदेखी करने को तैयार है।

एक व्यक्ति किस तरह से मीडिया की सच्चाई को सामने ला पाया इसे एक चमत्कारिक प्रयास ही कहा जा सकता है। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इसमें से कुछ भी धरातल पर नहीं उतरा। परंतु विचारणीय यह है कि जिन लोगों का मीडिया पर नियंत्रण है, उनकी सोच किस स्तर पर उतर आई है। वहीं दूसरी सच्चाई भी सामने आई है कि मीडिया में (अपवाद छोड़ दें) अब संपादकीय कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी कुछ प्रबंधकों एवं मार्केटिंग के द्वारा तय किया जा रहा है। एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि मीडिया अब मिशन नहीं व्यापार बन गया है और इसके कारण भी बताए जा रहे हैं, तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि व्यापार भी नियम, कानून व संविधान से बंधा है और उसकी अवहेलना गैरकानूनी है और व्यक्ति दण्ड एवं सजा का पात्र होता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है और इसे सुनिश्चित करने के लिए, संविधान का अनुच्छेद 25(2)(क) धार्मिक आचरण में, आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य किसी तरह के हस्तक्षेप का निषेध करता है। यानी प्रथम दृष्टया इन मीडिया घरानों/व्यक्तियों ने भारतीय संविधान की मूलभावना की अवहेलना की है। पिछले करीब 5 वर्षों से जिस तरह से धार्मिक उन्माद को प्रोत्साहित किया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को श्रीहीन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। इसमें मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

यह स्टिंग एक भिन्न स्तर पर हमें यह भी समझा रहा है कि देश व समाज में कुलीनतंत्र की वापसी और सामंतवादी व्यवस्था के प्रति स्वीकार्यता को लेकर भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

इन पच्चीस संस्थानों में से किसी भी व्यक्ति का कोई इस्तीफा सामने न आना बता रहा है कि डर की पैठ कितनी गहरी है और उसने एक पूरी जमात के अधिकांश लोगों को मानसिक तौर पर सन्निपात की स्थिति में ला दिया है। ऐसा एकाएक नहीं हुआ! आपातकाल के बाद से ही भारतीय मीडिया के कलेवर में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की दरकार थी और इसी के समानांतर मीडिया को अपने आपको चौथा स्तंभ कहलवाने में मजा आने लगा। यह मजा ठीक उसी तरह का था, जैसे कि खाज के मरीज को खुजाने में आता है और उसे कई बार ध्यान भी नहीं रहता कि इससे खून निकलने लगा है। मीडिया भी आत्म सम्मोहन में पड़ गया और नब्बे के दशक में नवउदारवाद के उदय ने उसे सुनहरे पंख दे दिए। इसी बीच इलेक्ट्रानिक मीडिया ने नए तरह की संभावनाओं को जन्म दिया और यह पूरा वर्ग बिना पर्याप्त परिपक्वता को आत्मसात किए एक 'प्री मेच्योर्ड बच्चे' की तरह बालहठ में यह मान बैठा कि अब वही धुरी है।

दुर्भाग्यवश प्रिंट व अन्य संचार माध्यम भी डरकर ठिठक गए और उन्होंने विचार की डोर से स्वयं को अलग कर स्वयं को एक लाभ कमाने वाली संस्था में परिवर्तित कर लेने में समझदारी समझी। कुछ संस्थान पत्रकारिता के पुराने विद्यालय को मानते रहे तभी वे इस स्टिंग की गिरफ्त से बच पाए! वे स्तुत्य हैं। मीडिया से विचार की रवानगी अनायास नहीं सायास हुई है। स्थानीयता की अवहेलना ने इसे और भी आसान बना दिया। अत्यन्त चतुराई से आंचलिक संस्करणों की रूपरेखा तय की गई और स्थानीय सरोकारों और समस्याओं का प्रचार-प्रसार बेहद सीमित दायरे में होने लगा। सब कुछ एक केंद्रित प्रबंधन के माध्यम से हुआ, तभी तो दिल्ली, मुंबई या मुख्यालय में बैठे लोग विषयवस्तु को लेकर बड़े-बड़े सौदे, एक हजार करोड़ रुपए तक करने की बात कर रहे हैं। वे इतनी जल्दी में हैं कि बिना पूरी जांच-परख किए उन्होंने लिखित प्रस्ताव भी भेज दिए।

तमाम प्रवचनकारों का तमाम मीडिया संस्थानों में निवेश है और वे अनेक ऐसे संस्थानों के परोक्ष स्वामी भी हैं। ऐसे में मीडिया के वर्तमान कर्ताधर्ताओं को समझना होगा कि उनके पास भी गिनती के दिन ही बचे हैं। ऐसा हम शिक्षा के क्षेत्र में व स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख भी चुके हैं, कि अब वहां विशेषज्ञता की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। जो लोग भी स्वयं को कालातीत मानते हैं, काल सबसे पहले उन्हें ही उनके वर्तमान से ही विलुप्त कर देता है। सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं, ''हिन्दुस्तान हिन्दुओं और वे जिनके पूर्वज हिन्दू थे उनका देश है। अहिन्दुओं द्वारा इस हकीकत का गर्व के साथ स्वीकार हिन्दुत्व की स्वीकृति है। इस प्रकार हिन्दू राष्ट्र, हिन्दुओं और अन्य धर्मावलंबियों, जिनमें हिन्दुत्व है, का एक गणराज्य है। यह निर्मिति हिन्दुस्तानी या भारतीय की पहचान की समस्या का निराकरण कर देती है। ऐसे में मीडिया के श्रेष्ठियों को विचार करना चाहिए कि अंततः विरोध व असहमति की गुंजाइश क्या कहीं बचेगी? यदि नहीं बचेगी तो मीडिया की तब क्या भूमिका होगी? रेस के घोड़े का तभी तक ख्याल रखा जाता है जब तक वह उसमें दौड़ता है। बाद में..? नॉम चोमस्की यह बहुत पहले ही समझ चुके थे, तभी तो उन्होंने कहा था, ''वे (व्यापारी) बहुत पहले ही समझ चुके हैं कि केवल जनमानस ही निजी निगमों के लिए गंभीर खतरा है।'' अब इन निगमों ने सीधे हस्तक्षेप का मानस बना लिया है और धार्मिक उन्माद को आधार बनाकर वे एक बहुलतावादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को हथिया लेना चाहते हैं।

यह स्टिंग भले ही काल्पनिक हो, लेकिन यह ''डे-ऑफ्टर'' जैसी फिल्म जो कि परमाणु बम के गिरने के बाद की परिकल्पना पर बनी थी, उतना ही सच है और एक स्तर पर उससे ज्यादा यथार्थवादी भी है, क्योंकि परमाणु युद्ध से बचने में बड़ी शक्तियां मदद कर दें, लेकिन मीडिया को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हथियाने में सभी की सहमति है। इस स्टिंग ने बता भी दिया है कि यह कितना आसान है। इस प्रक्रिया में उनको साथ है। एक ध्रुवीय शक्तिकरण, वैश्वीकरण, विचारधाराओं की विरक्ति सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलनों का उदय, पुनरुत्थानवादी संस्कृतियों का उदय, सांप्रदायिकता बहुलतावादी संस्कृति पर चोट, जनविरोधी कानूनों को प्रोत्साहन आदि आदि। खोजिए आपके साथ कौन है?

(देशबन्धु से साभार)

शिक्षा और परीक्षा को टिपिकल होने से बचाएं

जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सम्बन्ध है, अब तक कई आयोगों द्वारा उस पर विचार किया जा चुका है। शिक्षा की ज्ञानपरकता और व्यावसायिकता में किसे ज्यादा महत्व दिया जाये, इस पर भी चर्चाएं हो चुकी हैं। अमेरिका जैसे देश में दसवीं तक की शिक्षा में इस आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं है, इसलिए उसके विषय भी अधिक हैं। लेकिन उसके बाद स्ट्रीमवाइज वर्गीकरण है और छात्र को अपनी पसंद के अनुसार स्ट्रीम के चयन की स्वतंत्रता है। यह और बात है कि आमतौर पर व्यावसायिक शिक्षा को ही सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसके चलते यह सवाल और बड़ा हो रहा है कि क्या इससे शिक्षा का मूल उद्देश्य-ज्ञान और योग्यता का विकास-पूरा हो रहा है? अगर नहीं तो इन उद्देश्यों से उसके सम्बन्ध की टूटन हमें कहां ले जायेगी?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन की बारहवीं की परीक्षा में 81.3 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से बहुतों को 99.3 प्रतिशत तक अंक मिले हैं। अंकों की इस 'बारिश' के जिस भी पहलू पर विचार करें, शुरूआत यहीं से करनी होगी कि विशेषज्ञों द्वारा देश के अलग-अलग भागों की जरूरतों के मद्देनजर निर्धारित शिक्षा व्यवस्थाओं में एकरूपता के बजाय बहुरूपताएं हैं। साथ ही शिक्षा के मूल्यांकन के तरीके को लेकर भी एक राय नहीं है। इस बात को लेकर भी नहीं कि क्या परीक्षा कक्ष में कुछ घण्टों में कुछ विशेष सवालों के, जिन्हें पाठ्यक्रम का अंग माना गया है, सही उत्तर लिखने मात्र से ही किसी परीक्षार्थी की योग्यता का वास्तविक या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है? इसीलिए अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि परीक्षार्थियों की सुविधाओं में ऐसा विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी जरूरत के अनुसार किताबें लेकर परीक्षा कक्ष में जाये और उनसे ढूढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख सकें।

इस सुझाव पर जब भी और जैसे भी अमल संभव हो, अभी तो हम जब भी परीक्षाओं के नतीजे आते हैं, इन अंदेशों से गुजरने को अभिशप्त हो जाते हैं कि परीक्षण या मूल्यांकन की व्यवस्था कहीं ऐसी टिपिकल तो नहीं होती जा रही कि उसमें परीक्षार्थियों के वास्तविक ज्ञान क्षेत्र के बजाय उसके सीमित हिस्से का ही परीक्षण संभव हो पा रहा हो? आखिरकार यह अकारण नहीं हो सकता कि परीक्षाओं में सारा जोर गिनती के इम्पॉरटेंट सवालों पर रहने लगा है और परीक्षार्थियों को उनके लिए भी महंगी कोचिंगें करनी पड़ रही हैं। वे पुराने सवालों में कुछ नये जोड़कर पास होने के लिए उन्हीं का अनुशीलन करते हैं, जिससे वे मेहनत करने से भी बचे रहें और अच्छे नम्बर भी ला सकें। इसीलिए ऐसे आरोप भी लगने लगे हैं कि परीक्षण व्यवस्था और परीक्षाओं को ध्यान में रखकर किताबें लिखने वालों की सेटिंग रहती है। दोनों की मिलीभगत से महंगे मूल्य की श्योरशॉट प्रश्नावलियां बेची जाती हैं और इससे होने वाला लाभ आपस में बांट लिया जाता है।

एक समय था, जब शुरुआती शिक्षा में अक्षरज्ञान और प्रारंभिक गणित ही मुख्य तत्व थे। इसलिए कि जीवन की तत्कालीन आवश्यकताएं उनसे ही पूरी हो जाती थी। आगे चलकर जैसे-जैसे जीवन की आवश्यकताओं में विस्तार हुआ, शिक्षा का क्षेत्र भी, वह ज्ञानपरक हो या व्यवसायपरक, बढ़ता गया। इससे साफ होता है कि शिक्षा व्यवस्था की अपने युग की व्यवस्था

– शीतला सिंह –

से सम्बद्धता हमेशा अटूट और अनिवार्य होती है।

दूसरे पहलू पर जायें तो हमारे बीच के कुछ लोग शिक्षा व्यवस्था को प्राचीन धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जोड़कर देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि शिक्षा की प्राचीन व्यवस्था की रक्षा हर हाल में की जाये क्योंकि वह हमारी संस्कृति और जीवन दर्शन का आधार है। लेकिन धर्म को उसे समग्र ज्ञान का परिचायक नहीं माना जा सकता, जिसकी पिपासा के बगैर शिक्षा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वह युगगति के समग्र ज्ञान पर आधारित नहीं है। शिक्षा को अपने समय से आगे चलने या कम से कम उसके साथ कदमताल करने में सक्षम नागरिकों के निर्माण में सक्षम बनाना है तो हमें उसके आयामों को सीमित रखने के बजाय विस्तृत करना और युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना पड़ेगा। साथ ही इस तथ्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राचीनता की जिन तथाकथित श्रेष्ठताओं का दावा किया जाता है, वे वास्तविकताओं पर आधारित नहीं हो सकतीं। आखिरकार ऐसे समय में जब साइकिल युग भी आरम्भ नहीं हुआ था, इंटरनेट व उड्यन की तकनीक या उसका ज्ञान कैसे 'खोजा- जा सकेगा?

इसके उलट यह मानना बेहतर होगा कि बाप से बेटा और पुरानी से नयी पीढ़ी ज्यादा योग्य और ज्ञानवान होती है क्योंकि पूर्व संचित ज्ञान की विरासत तो उसे मिली ही होती है, नया अर्जित ज्ञान उसके क्षेत्र का विस्तार करके उसकी श्रेष्ठता की स्थापना करता रहता है।

इस मान्यता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में धर्म या पुरातनता के दखल को अस्वीकार कर दिया जाये तो नये ज्ञान के समावेश के लिए उसमें नये विषय स्वत: शामिल होने लगेंगे। क्योंकि किसी भी युग के ज्ञान को नये युग के लिए पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसीलिए तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने व्यक्ति और व्यवस्था के लिए 'साइंटिफिक टेम्पर' के विस्तार का उद्देश्य निर्धारित कर रखा है। इस निर्धारण का कहीं विरोध भी नहीं हुआ है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन या ऐसे दूसरे बोर्डो की परीक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने की बात पर लौटें तो यह उन्नतीकरण किसी भी स्तर पर पूर्ण नहीं माना जा सकता। वैसे ही जैसे अपूर्ण व्यक्ति कभी पूर्णता का परिचायक नहीं हो सकता। दरअसल, शिक्षा के विषयों का खासी तेजी से विस्तार हो रहा है। प्राचीन धर्मशास्त्रों और ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रन्थों पर विशिष्ट अध्ययन भी हो रहे हैं और इस पर विचार भी, कि उनमें जो कमियां दृष्टिगत हो रही हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाये?

आस्था, विश्वास और उनसे जनित भावनाएं राज्य के भय या दंड से समाप्त नहीं हो सकतीं क्योंकि वे मानव मन में जन्मी विभिन्न प्रवृत्तियों पर आधारित और भविष्य के दर्शन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए बेहतर होगा कि उनकी स्वीकार्यता व अस्वीकार्यता में उलझने के बजाय ज्ञान और तकनीक की विभिन्न प्रविधियों का विकास व विस्तार करते रहा जाये। इस विवेक के साथ कि जो कुछ मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकार्य हो, उसे ही जीवन में धारित किया जाये। इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो जाने पर मूल्यांकन व्यवस्थाओं के, जिन्हें परीक्षा का नाम दिया गया है, स्वरूप भी स्वत: परिवर्तित होते रहेंगे-तब उनका 'टिपिकल' स्वरूप भी बदल जायेगा। क्योंकि तब सारे लोग 'टिपिकल' व्यवस्था की, जो परीक्षार्थियों के ज्ञान-विस्तार के बजाय उन्हें सीमित दायरे में कैद करती है, की निरर्थकता से वाकिफ होंगे।

तब शिक्षा से जुड़ी नयी खोजें भी आवश्यकतापरक ही होंगी और व्यक्ति भी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ेगा। अभी टिपिकल शिक्षा और परीक्षाओं का सबसे बड़ा अवगुण है-ज्ञान के विस्तार क्षेत्र को सीमित करना। इस सीमित और नियंत्रित करने की जरूरत तभी पड़ती है, जब हम उसे विस्तारित करने से परहेज बरतना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि किसी भी शिक्षा या परीक्षा में ज्ञान के क्षेत्र की अनन्तता को सीमित या समाप्त करना परीक्षार्थी के विकास को रोकना है। इसलिए आवश्यक सर्वोपयोगी विषयों के बाद विशिष्ट क्षेत्र के अध्ययन की सुविधाओं का क्षेत्र बढ़ता ही रहना चाहिए। चूंकि राज्य ही शिक्षा व्यवस्थाओं का संचालक और नियंत्रक है इसलिए उसे इस व्यवस्था को टिपिकल होने से बचाने का निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए।

(देशबन्धु से साभार)

देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में आई एक प्रतिशत की कमी

शिमला/पीआईबी। देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 27.669 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 17 प्रतिशत है। यह मई, 2018 को समाप्त सप्ताह में 18 प्रतिशत पर था। मई, 2018 को समाप्त हुए सप्ताह के अंत में यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 82 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 89 प्रतिशत है।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 161.993 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 63 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली संबंधी लाभ देते हैं।

उत्तरी क्षेत्र-उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 2.55 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 14 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 25 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 26 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है, तथा साथ ही पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

पूर्वी क्षेत्र-पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 4.53 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 24 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 27 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 18 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से बेहतर है।

पश्चिमी क्षेत्र-पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 31.26 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 4.62 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 15 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 21 प्रतिशत था। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 20 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कमतर है ।

मध्य क्षेत्र-मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 9.65 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 23 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 33 प्रतिशत था। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 20 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से बेहतर है।

दक्षिणी क्षेत्र- दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 6.31 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 12 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 8 प्रतिशत था। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से बेहतर है, और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कम है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। इसी अवधि के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम संग्रहण करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल हैं।

पसूका

हमारी प्रतिबद्धता
स्वच्छ, प्रदूषण रहित एवं किफ़ायती बिजली

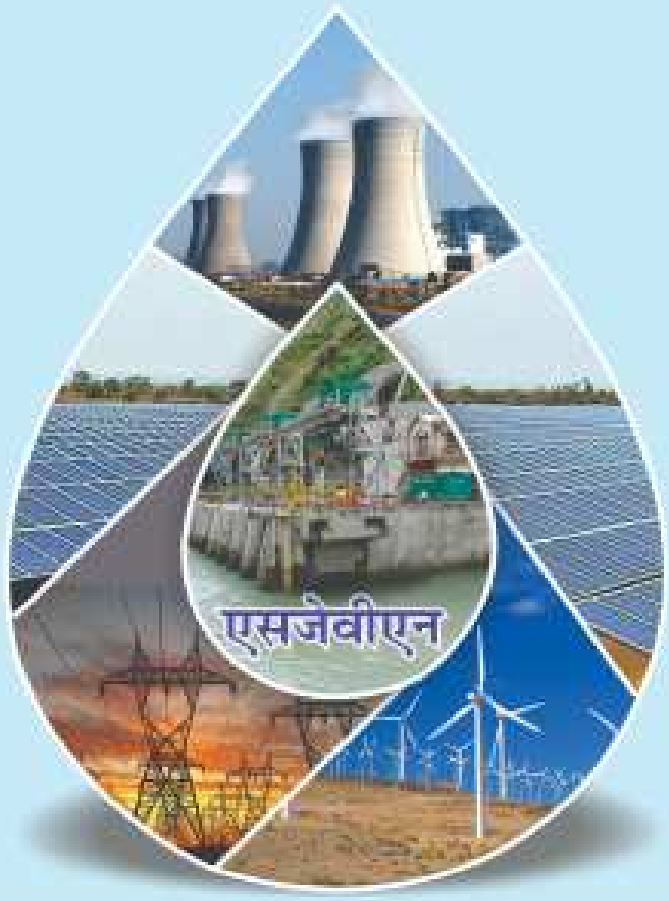

जल विद्युत | पवन विद्युत | सौर विद्युत | ताप विद्युत | विद्युत पारेषण

प्रचालनाधीन परियोजनाएं :
- 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन
- 412 मेगावाट रामपुर जल विद्युत स्टेशन
- 47.6 मेगावाट खिरवीरे पवन विद्युत स्टेशन
- 5 मेगावाट चरंका सौर पीवी विद्युत स्टेशन

विकासाधीन परियोजनाएं :
- हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाएं
- उत्तराखंड में 3 जल विद्युत परियोजनाएं
- भूटान में 2 जल विद्युत परियोजनाएं
- नेपाल में 1 जल विद्युत परियोजना
- बिहार में 1 ताप विद्युत परियोजना
- गुजरात में 1 पवन विद्युत परियोजना
- 310 किलो मीटर डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन

एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम)
एक 'मिनी रत्न' एवं शेड्यूल 'ए' पीएसयू | एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कम्पनी

पंजीकृत कार्यालय : एसजेवीएन लिमिटेड, कॉरपोरेट कार्यालय कॉम्पलैक्स, शनान, शिमला-171006, हिमाचल प्रदेश (भारत)
एक्सीपीडाइटिंग कार्यालय : इरकॉन बिल्डिंग, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 (भारत)
वेबसाइट : www.sjvn.nic.in

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

जल संकट के परिदृश्य में क्या नगर निगम भंग नही कर दी जानी चाहिये

शिमला/शैल। शिमला में इस बार कितना गंभीर हो गया पेयजल संकट, इसका आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि 28 मई से प्रतिदिन उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेकर सरकार और संबद्ध प्रशासन को इस संद्धर्भ में निर्देश जारी कर रहा है। प्रदेश न्यायालय द्वारा इस तरह का संज्ञान पहली बार लिया गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय के संज्ञान के साथ ही प्रदेश के मुख्यमन्त्री और मुख्य सचिव भी इसका प्रतिदिन संज्ञान ले रहे हैं। मुख्य सचिव स्वयं जल वितरण का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्ही के मार्गदर्शन में शिमला को जल वितरण के लिये तीन जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में कब- कब पानी का वितरण होगा और कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी इस काम को अंजाम देंगे उनके संपर्क फोन नम्बर भी बाकायदा जोन स्कीम के साथ सूचित कर दिये गये है। जोन में कौन-कौन सा एरिया शामिल है इसको भी बाकायदा सूचित किया गया है। पानी वितरण में मुख्य भूमिका निभा रहे ''की मैन'' पर नज़र रखने और पानी खोलने और बन्द करने की विडियोग्राफी किये जाने के निर्देश भी उच्च न्यायालय दे चुका है। उच्च न्यायालय के यह सारे निर्देश उसकी साईट पर फैसलों/निर्देशों के रूप में उपलब्ध है। उच्च न्यायालय का यह संज्ञान लेना ही शहर की पेयजल समस्या की गंभीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है और इस प्रमाण को देखकर यहां आने की योजना बना रहा कोई भी व्यक्ति आने से पहले सोचेगा जरूर। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि यदि उच्च न्यायालय इस स्थिति का संज्ञान न लेता और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने जिस तरह अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसका नोटिस लिया है उससे इस समस्या पर समय रहते कुछ नियन्त्रण का आस बंधी है। अन्यथा इसके परिणाम भयानक हो जाते।

शहर में पानी का संकट 15 मई से बढ़ना शुरू हुआ है लेकिन यह संकट हुआ क्यों यह अपने में एक अहम सवाल है। इसके लिये कुछ आंकड़ों पर नज़र डालना आवश्यक है। 28 मई को सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मई 2016 में नगर निगम को 1003.99 एमएलडी पानी मिला था। मई 2017 में 1104.78 और 28 मई 2018 तक 810 एमएलडी पानी मिला। मई 2016 में प्रतिदिन 32.39, मई 2017 में 35.64 और मई 2018 में 28. 93 एमएलडी पानी शिमला को मिला यह सरकार का अपना मानना है। 29 मई को उच्च न्यायालय को बताया गया कि 18.5 एमएलडी पानी मिला। एक जून को सचिव आईपीएच के मुताबिक 23 एमएलडी पानी मिला। दिसम्बर 2017 में प्रतिदिन औसत 42 से 43 एमएलडी पानी मिला। नगर निगम के मुताबिक यदि सारे शिमला को नियमित प्रतिदिन पानी सप्लाई करना हो तो 47 एमएलडी पानी चाहिए। जो आंकड़े सरकार स्वयं जनता के सामने रख रही है और प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने रख रही है उसके मुताबिक जितना पानी निगम को मई 2016 और 2017 में मिला उसका करीब 80% मई 2018 में मिला है। ऐसे में जब शहर को तीन भागों में बांटकर हर ज़ोन को तीसरे दिन पानी देने की योजना बनी तब तो तीसरे दिन संबंधित ज़ोन के हर व्यक्ति /परिवार को पानी मिल जाना चाहिये था लेकिन ऐसा हो नही पाया। ज़ोन एक में जहां मुख्य सचिव स्वयं रहते हैं वहां पहली जून को सबको पानी नही मिल पाया। स्थिति यहां तक हो गयी कि रात 11:30 बजे महिलाओं ने कंट्रोलरूम में हंगामा खड़ा कर दिया। महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए कुछ कर्मचारी तो वहां से भाग ही निकले। स्थिति की सूचना मुख्य सचिव को दी गयी। महिलाओं का आरोप था कि पानी के वितरण में भाई -भतीजावाद हो रहा है। सरकार के बड़े अधिकारी के यहां मैहली क्षेत्र में पानी के ओवरफ्लो होने के भी आरोप लगे हैं। इन आंकड़ो से यही सवाल उठता है कि यदि यह आंकडे सही हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन के स्तर पर कोई नियोजित गड़बड़ हो रही है। यदि प्रशासन पर पूरा नियन्त्रण है तो फिर सरकार जनता और अदालत के सामने सही तस्वीर नहीं रख रही है।

अब जब पानी का संकट गहराया और उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान ले लिया तब यह सामने आया कि कैसे कुछ लोगों को सीधे मेन लाईन से ही सप्लाई दे दी गयी थी। लोगों ने जब इस आश्य की शिकायतें प्रशासन के सामने रखी और डीसी शिमला ने इन शिकायतों का संज्ञान लिया तब पहली कारवाई भाजपा विधायक बलवीर वर्मा के जाखू क्षेत्र में बने फ्लैटों पर हुई। इस समय नगर निगम के रिकार्ड के मुताबिक चार एमएलडी पानी की नॉन रैवेन्यू लीकेज हो रही है। शहर के 224 होटलों को 527 पानी के कनैक्शन मिले हुए हैं जिसका सीधा अर्थ है कि इस तरह का कारनामा कुछ अधिकारियों/ कर्मचारियों के सहयोग के बिना नही घट सकता। निगम के सूत्रों की माने तो विधायक बलवीर वर्मा की तर्ज पर करीब 3000 कनैक्शन मिले हुए हैं। कई होटलों के बारे में तो यहां तक चर्चा है कि उन्होने भूमिगत स्टोरेज टैंक तक बना रखे हैं ऐसा पहली बार हुआ है कि बिजली बोर्ड की चाबा विद्युत उत्पादन योजना से नगर निगम को पानी लेने की आवश्यकता आ पड़ी हो।

पानी का यह संकट जिस तरह से सामने आया उसने एक बुनियादी और बड़ा सवाल प्रदेश के प्रबन्धकों के सामने खड़ा कर दिया है। इस पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी 28 मई को यह कहकर चिन्ता प्रकट की है कि The problem of water scarcity within Shimla town, as highlighted, takes us to yet another issue and that being as to whether any new construction should be allowed to come up within the Municipal limits of Shimla town at all or not, for the town, except for one, itself does not have its own perennial source of water, which is required to be pumped from the river sources at a distant place. Whether the present holding capacity is sufficient enough to cater to the ever growing urban population or not, is an issue which certainly needs to be addressed. इसी तरह की चिन्ता एनजीटी ने व्यक्त करते हुए यहां निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात की है। एनजीटी ने अढ़ाई मंजिल से अधिक पर प्रतिबनध लगाने की बात की है। सरकार ने भी जब न्यू शिमला उपनगर बनाने की योजना तैयार की थी तब वहां पर भी अढ़ाई मंजिल के निर्माणों की ही बात की थी लेकिन राजनीतिक दबावो और स्वार्थो के कारण सरकार अपने ही बनाये हुए नियमो/ कानूनों की अनुपालना नही कर पायी है। अपने कानूनो को स्वयं ही न मानने का परिणाम इस तरह के जल संकट पैदा करता है और भविष्य में भी करता रहेगा यदि सरकार नियमो कानूनो को स्वयं ही तोड़ती रही। आज यह सवाल उठ रहा है कि जो निगम प्रशासन और उसके चयनित प्रतिनिधि शहर में पेयजल का वितरण सुनिश्चित नही कर पा रहे हैं और उस पर सरकार और उच्च न्यायालय को नज़र रखनी पड़ रही है क्या ऐसी संस्था पर आज शहर की जनता का विश्वास बना रह सकता है? क्या सरकार और उच्च न्यायालय को इसे भंग करके इसका पूरा प्रशासन अपने हाथ में लेकर शहर की जनता को नये सिरे से इसके चयन का अधिकार नही दिया जाना चाहिये?

अपार्टमैन्टस के पानी कनैक्शन के बाद वर्मा के होटल पर भी उठे सवाल

शिमला/शैल।भाजपा विधायक बलवीर वर्मा के जाखू स्थित अपार्टमैंट में पानी का कनैक्शन सीधे मेन सप्लाई लाईन से दिया गया था यह तथ्य अब शिमला में आये पेयजल संकट के दौरान सामने आया है। जिलाधीश शिमला ने फौरी तौर पर इस पर कारवाई करते हुए कनैक्शन बन्द कर दिया है। यह अवैध कनैक्शन कैसे मिला इस बारे में जांच की जा रही है। इस जांच से किसे सज़ा दी जाती है या यह मामला यहीं पर ही बन्द हो जाता है इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद यह सवाल उठ गया है कि वर्मा की ही तरह और कितने ऐसे बिल्डर हैं जिनको ऐसे कनैक्शन मिले होंगे। क्योंकि 3000 से अधिक ऐसे कनैक्शन ऑप्रेशन में हैं यह निगम के भीतरी सूत्रों का मानना है। शहर में वर्मा की ही तरह और भी कई बिल्डर रहे हैं और आज भी कार्यरत हैं। कई कांग्रेस में तो कई भाजपा में बडे नेता बिल्डर का धन्धा परोक्ष/अपरोक्ष में कर रहे हैं। बहुत संभव है कि ऐसे कई और मामले सामने आ जायें यदि सरकार और नगर निगम इस बारे में ईमानदारी से जांच करवायें।

भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने शांखली में भी एक होटल का निर्माण खसरा न0 987,988,989 पर कर रखा है। इस निर्माण के लिये नगर निगम की ओर से 13.5.2011 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस अनुमति की शर्तों में यह साफ कहा गया था कि स्वीकृति नक्शे से अधिक निर्माण अवैध समझा जायेगा। इन्ही खसरा नम्बरों पर 17.1. 2011 को एक ''सर्वश्री ईश्वर दास अंकुश नवराजन आदि को भी निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी। यह अनुमति दो मंजिल के निर्माण की थी जबकि वर्मा को मिली अनुमति में पार्किंग धरातल मंजिल, प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल छत सहित शामिल है। यह खसरा नम्बर जिन पर इन दोनों को निर्माण की अनुमति मिली है यह क्षेत्र Restricted area" में पड़ता है। इसके लैण्ड यूज़ चेन्ज की अनुमति सरकार से अलग से लेनी पड़ती है। इसके लिये निदेशक टीसीपी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यों की कमेटी इसकी अनुमति देती है। इस कमेटी की बैठक 30.11. 2010, 1.12.2010 और 2.12.2010 को हुई थी। इन बैठकों में 17 मामले विचार के लिये आये थे और ईश्वर दास वगैरा को इसी बैठक में अनुमति मिली थी। लेकिन वर्मा का मामला इस बैठक में विचार के लिये नही आया था।

वर्मा को निर्माण की अनुमति 13. 5.2011 को मिली थी। इसके बाद 15.6. 2015 को वर्मा को नगर निगम ने 7,93,433 रूपये की कम्पाउंडिंग फीस लगाकर अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 13.5. 2011 को जब पहली स्वीकृति ली गयी थी और उसमें जो भी प्रस्तावित निर्माण दिखाया गया था उसमें निर्माण के पूरा होने तक और कुछ बढ़ोत्तरी कर ली गयी। जिसे बाद में यह फीस लेकर नियमित कर दिया गया है। यह एरिया प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है यहां पर बड़े निर्माणों की अनुमति नही दी जा सकती। लेकिन वर्मा के मामले में ऐसा नही हुआ है क्योंकि उस समय वर्मा सत्तारूढ़ कांग्रेस के सहयोगी विधायक थे। बल्कि भाजपा ने वर्मा और अन्य निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिये स्पीकर के पास एक याचिका भी दायर की थी। अब तो वर्मा वाकायदा भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आये है। इसलिये ''समर्थ को नही दोष गोसाई'' के स्थापित सत्य के तहत किसी कारवाई का प्रश्न ही नही उठता। वर्मा को यह स्वीकृति Section is granted subject to the final decision in CWP No.4595/2011 titled as Rajeev Varma & Others v/s State of H.P. pending before the Hon'ble High Court. पर दी गयी है। यह याचिका अभी तक उच्च न्यायालय में लंबित है। अब जल संकट को लेकर शिमला की सारी स्थिति उच्च न्यायालय और सरकार के सामने है। अब देखना है कि वर्मा जैसे मामलों पर कौन क्या करता है।

नगर निगम शिमला

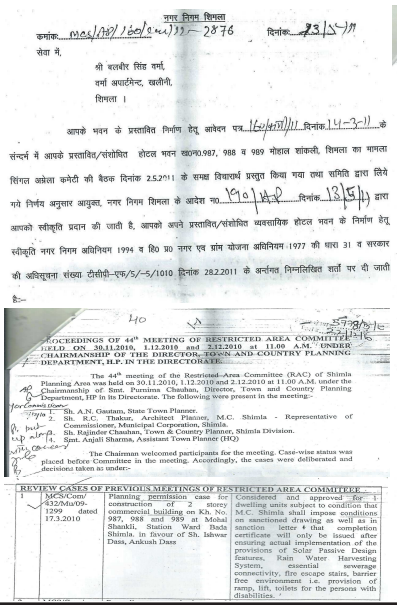

कमांक: MCS/A&P/160/(sic)/12-2876 दिनांक: 23/5/11

सेवा में,

श्री बलबीर सिंह वर्मा,
वर्मा अपार्टमेन्ट, खलीनी,
शिमला ।

आपके भवन के प्रस्तावित निर्माण हेतू आवेदन पत्र 160/(sic)/11 दिनांक 14-3-11 के संन्दर्भ में आपके प्रस्तावित/संशोधित होटल भवन ख0न0.987, 988 व 989 मोहाल शांकली, शिमला का मामला सिंगल अम्रेला कमेटी की बैठक दिनांक 2.5.2011 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयुक्त, नगर निगम शिमला के आदेश न0 190/A&P दिनांक 13/5/11 द्वारा आपको स्वीकृति प्रदान की जाती है, आपको अपने प्रस्तावित/संशोधित व्यवसायिक होटल भवन के निर्माण हेतू स्वीकृति नगर निगम अधिनियम 1994 व हि0 प्र0 नगर एव ग्रांम योजना अधिनियम 1977 की धारा 31 व सरकार की अधिसूचना संख्या टीसीपी–एफ/5/–5/1010 दिनांक 28.2.2011 के अर्न्तगत निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है::–

40

PROCEEDINGS OF 44th MEETING OF RESTRICTED AREA COMMITTEE HELD ON 30.11.2010, 1.12.2010 and 2.12.2010 at 11.00 A.M. UNDER CHAIRMANSHIP OF THE DIRECTOR, TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT, H.P. IN THE DIRECTORATE.

The 44th meeting of the Restricted Area Committee (RAC) of Shimla Planning Area was held on 30.11.2010, 1.12.2010 and 2.12.2010 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Smt. Purnima Chauhan, Director, Town and Country Planning Department, HP in its Directorate. The following were present in the meeting:-

1. Sh. A.N. Gautam, State Town Planner.
2. Sh. R.C. Thakur, Architect Planner, M.C. Shimla - Representative of Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
3. Sh. Rajinder Chauhan, Town & Country Planner, Shimla Division.
4. Smt. Anjali Sharma, Assistant Town Planner (HQ)

The Chairman welcomed participants for the meeting. Case-wise status was placed before Committee in the meeting. Accordingly, the cases were deliberated and decisions taken as under:-

REVIEW CASES OF PREVIOUS MEETINGS OF RESTRICTED AREA COMMITEEE

1	MCS/Com/ 432/Mu/09- 1299 dated 17.3.2010	Planning permission case for construction of 2 storey commercial building on Kh. No. 987, 988 and 989 at Mohal Shankli, Station Ward Bada Shimla. in favour of Sh. Ishwar Dass, Ankush Dass	Considered and approved for 1 dwelling units subject to condition that M.C. Shimla shall impose conditions on sanctioned drawing as well as in sanction letter that completion certificate will only be issued after ensuring actual implementation of the provisions of Solar Passive Design features, Rain Water Harvesting System, essential sewerage connectivity, fire escape stairs, barrier free environment i.e. provision of ramp, lift, toilets for the persons with disabilities.

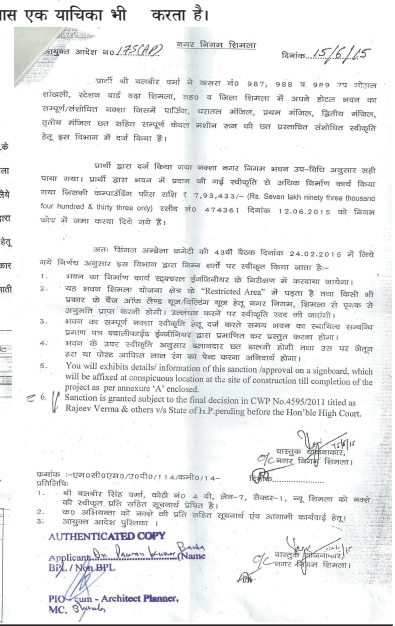

आयुक्त आदेश न0 175(AP) नगर निगम शिमला दिनांक 15/6/15

प्रार्थी श्री बलबीर वर्मा ने खसरा नं0 987, 988 व 989 रुप मोहाल शांखली, स्टेशन वार्ड बढ़ा शिमला, तह0 व जिला शिमला में अपने होटल भवन का सम्पूर्ण/संशोधित नक्शा जिसमें पार्किंग, धरातल मंजिल, प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल छत सहित सम्पूर्ण केवल मशीन रुम की छत प्रस्तावित संशोधित स्वीकृति हेतू इस विभाग में दर्ज किया हैं।

प्रार्थी द्वारा दर्ज किया गया नक्शा नगर निगम भवन उप–विधि अनुसार सही पाया गया। प्रार्थी द्वारा भवन में प्रदान की गई स्वीकृति से अधिक निर्माण कार्य किया गया जिसकी कम्पाउंडिंग फीस राशि ₹ 7,93,433/– (Rs. Seven lakh ninety three thousand four hundred & thirty three only) रसीद नं0 474361 दिनांक 12.06.2015 को निगम कोष में जमा करवा दिये गये हैं।

अतः सिंगल अम्ब्रेला कमेटी की 43वीं बैठक दिनांक 24.02.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार इस विभाग द्वारा निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया जाता है:–

1. भवन का निर्माण कार्य स्ट्रक्चरल ईनजिनीयर के निरीक्षण में करवाया जायेगा।
2. यह भवन शिमला योजना क्षेत्र के "Restricted Area" में पड़ता है तथा किसी भी प्रकार के चैंज ऑफ लैण्ड यूज/बिल्डिंग यूज हेतू नगर निगम, शिमला से पृथक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उल्लंघन करने पर स्वीकृति रदद की जाएंगी।
3. भवन का सम्पूर्ण नक्शा स्वीकृति हेतू दर्ज करते समय भवन का स्थायित्व सम्बन्धि प्रमाण पत्र क्वालीफाईड ईन्जीनियर द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
4. भवन के उपर स्वीकृति अनुसार ढलानदार छत डालनी होगी तथा उस पर जैतून हरा या पोस्ट आफिस लाल रंग का पेन्ट करना अनिवार्य होगा।
5. You will exhibits details/ information of this sanction /approval on a signboard, which will be affixed at conspicuous location at the site of construction till completion of the project as per annexure 'A' enclosed.
6. Sanction is granted subject to the final decision in CWP No.4595/2011 titled as Rajeev Verma & others v/s State of H.P.pending before the Hon'ble High Court.

वास्तुक योजनाकार,
O/C नगर निगम शिमला।

क्रमांक :–एम0सी0एस0/ए0पी0/114/कमी0/14– दिनांक......................
प्रतिलिपिः
1. श्री बलबीर सिंह वर्मा, कोठी नं0 4 बी, लेन–7, सैक्टर–1, न्यू शिमला को नक्शे की स्वीकृत प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित है।
2. क0 अभियन्ता को नक्शे की प्रति सहित सूचनार्थ एंव आगामी कार्यवाई हेतू।
3. आयुक्त आदेश पुस्तिका ।

AUTHENTICATED COPY

Applicant Dr. Pawan Kumar Banta (Name
BPL / Non BPL

PIO - cum - Architect Planner,
MC. Shimla

वास्तुक योजनाकार,
O/C नगर निगम शिमला।